Australian Government
Department of Immigration and Citizenship

प्रशंसा व शिकायतें

मैं प्रशंसा या शिकायत कैसे कर सकता/ ती हूँ?

प्रशंसा या शिकायत करने के लिए आपः

- ग्लोबल फीडबैक यूनिट को काम काज के समय 133 177 पर फ़ोन करें (जो ऑस्ट्रेलिया में निःशुल्क है)
- www.immi.gov.au पर ऑनलाईन जा कर
- प्रतिपुष्टि फ़ार्म (feedback form) भरें
- इनको लिखें
  The Manager
  Global Feedback Unit
  GPO Box 241
  MELBOURNE VIC 3001
  AUSTRALIA
- अपने निकटतम DIAC कार्यालय में हमसे सीधा संपर्क करें।

मैं प्रशंसा या शिकायत किस बारे में कर सकता /ती हूं ?

आप सेवाओं के किसी भी पहलू की प्रशंसा या शिकायत कर सकते हैं जो इस विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है या जिनके लिए धन प्रदान किया जा रहा है।यदि आप वीज़ा के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको उस निर्णय पर पुनर्विचार करवाने का अधिकार हो सकता है। आप विभाग की वेबसाईट www.immi.gov.au. पर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मेरी शिकायत के बारे में और किसे पता चलेगा ?

आपकी गोपनीयता व गुप्तता का आदर व रक्षण किया जाएगा। यदि आप अपना नाम नहीं देना चाहते /ती तो यह आवश्यक नहीं है। यदि आप अपना नाम देते/ती हैं तो हम आपके साथ व्यवहार करने में कोई भेदभाव या कोई नुकसान नहीं करेंगे

इसमें कितना समय लगेगा ?

यदि आप फ़ोन या ईमेल द्वारा शिकायत करते हैं तो एक दिन ही में इसकी प्राप्ति सूचना दी जाएगी और इसका उत्तर 10 कार्य-दिवसों के अन्दर दिया जाएगा। यदि आप डाक द्वारा शिकायत करते हैं तो पांच दिनों में इसकी प्राप्ति सूचना दी जाएगी और इसका उत्तर 20 कार्य-दिवसों के अन्दर दिया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया में यदि मुझे प्रशंसा या शिकायत करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो तो ?

यदि आपको दुभाषिया चाहिए तो आप अनुवाद व दुभाषिया सेवा (TIS) को 131 450 पर संपर्क कर सकते/ती हैं जो निःशुल्क है।

☏ यदि आप सुनने,बोलने या पत्र व्यवहार करने में असमर्थ हैं तो आप हमें नैशनल रिले सर्विस (NRS) टैक्सट फ़ोन (TTY) द्वारा संपर्क कर सकते /ती हैं या मोडम से बात करने वाले NRS को 133 677 पर निःशुल्क संपर्क कर सकते/ती हैं।

यदि आप को स्पीच टू स्पीच रिले (SSR) की आवश्यकता है तो आप नैशनल रिले सर्विस (NRS) को 1300 555 727 पर निःशुल्क संपर्क कर सकते/ती हैं।

यदि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं तो क्या कर सकता/ती हूं?

यदि आप हमारे शिकायत से निपटने के तरीके से प्रसन्न नहीं हैं तो आप :

- ग्लोबल फीडबैक यूनिट से संपर्क कर सकते हैं और हमें कारण बता सकते/ती हैं
- कॉमनवैल्थ ओम्बड्समैन को किसी भी समय 1300 362 072 पर फ़ोन कर सकते/ती हैं (स्थानीय काल दर पर), सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार या ombudsman@ombudsman.gov.au को ईमेल कर सकते/ती हैं
- ऑस्ट्रेलिया के किसी सांसद सदस्य से संपर्क कर सकते/ती हैं

अन्य उपयोगी संपर्क

ऑस्ट्रेलिया में

सामान्य पूछताछ या जानकारी के निवेदन के लिए आप हमारी सामान्य पूछताछ लाईन 131 881 पर सीधा संपर्क करें या हमारी वेबसाईट www.immi.gov.au पर जाएँ।

ऑस्ट्रेलियन नागरिकता संबंधी पूछताछ सीधा हमारी ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप पूछताछ लाईन 131 880 पर करें या हमारी वेबसाईट www.immi.gov.au पर जाएँ।

ऑस्ट्रेलिया के बाहर

अपने समीपी ऑस्ट्रेलियन दूतावास, कन्सुलेट या हाई कमीशन के किसी कर्मचारी से बात करें। अपनी स्थानीय डायरेक्टरी देखें या संपर्क विवरण निश्चित करने के लिए हमारी वेबसाईट www.immi.gov.au पर जाएँ।

आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखने के विषय में अधिक जानकारी www.privacy.gov.au से उपलब्ध है।

ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के विषय में जानकारी के लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ॉरन अफ़ेयर्स एंड ट्रेड (DFAT) से www.passports.gov.au पर या 131 232 पर फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते /ती हैं (जो ऑस्ट्रेलिया में निःशुल्क है) या अपने समीपी ऑस्ट्रेलियन दूतावास, कन्सुलेट या हाई कमीशन से संपर्क करें (www.dfat.gov.au देखें)

विभाग की किसी भी सेवा के विषय में प्रशंसा या शिकायत करने के लिए कृपया कार्यालय खुलने के समय 133 177 पर फ़ोन करें (ऑस्ट्रेलिया में निःशुल्क है), हमारी वेबसाईट पर जाएँ या अपने समीपी ऑस्ट्रेलियन दूतावास, कन्सुलेट या हाई कमीशन से www.immi.gov.au पर संपर्क करें।

DIAC07/00437
Design date 10/07
© Commonwealth of Australia [2007]